न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 181 / 2025	2025 / 247	09.07.2025	01.01.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश, किशनलाल, पप्पूराम पुत्रान प्रभूदयाल,
2. प्रेम देवी, शीला पुत्रियां प्रभूदयाल,
3. सरस्वती पत्नी प्रभूदयाल,

जातियान हरियाणा ब्राह्मण सा. थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

1—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:निर्णय:—

तहसीलदार थानागाजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी/आवंटी के पक्ष में ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 2750 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु.बाड़ा भूमि का आंवटन किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा न0 2750 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु.बाड़ा भूमि वाके ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का थानागाजी की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा न0 2750 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु.बाड़ा भूमि वाके ग्राम थानागाजी, का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कृषि कार्य हेतु किया गया था। पटवारी हल्का थानागाजी की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 के अनुसार हाल खसरा न0 2750 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु.बाड़ा भूमि आवंटी/अप्रार्थीगण कैलाश, किशनलाल, पप्पूराम पुत्रान प्रभूदयाल, प्रेम देवी, शीला पुत्रियां प्रभूदयाल, सरस्वती पत्नी प्रभूदयाल, जातियान हरियाणा ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार नि0 थानागाजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी/आवंटी को आवंटित हुई थी जिसका नामा0 संख्या 1032 दिनांक 21.07.1994 को गैर खातेदार दर्ज हो चुका है। आवंटी फौत हो चुका है। आवंटी एवं बाद आवंटी के वारिसानों का उक्त आराजी पर कब्जा है। आवंटित खसरा पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त खसरा में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2080 तक में कोई फसल दर्ज नहीं है, पड़त भूमि दर्ज है। आवंटी एवं बाद आवंटी वारिसान द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

गया। पटवारी हल्का थानागाजी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी एवं बाद आवंटी के वारिसान द्वारा उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य (काश्त) किया है, मौके पर भूमि पड़त पड़ी है। आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काश्त" की पालना नहीं की जा रही है। राजस्थान भू–राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर स्वयं काश्त नहीं कर रहे हैं। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर स्थित आराजी हाल खसरा न0 2750 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु.बाड़ा भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (कैलाश, किशनलाल, पप्पूराम पुत्रान प्रभूदयाल, प्रेम देवी, शीला पुत्रियां प्रभूदयाल, सरस्वती पत्नी प्रभूदयाल) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिंजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)